अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22.10.2018 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 22.10.2018 को सायं 04.30 बजे पुनर्गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 22वीं बैठक प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	प्रो. वी.के. बहल, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)	उपाध्यक्ष
3.	डॉ. डी.के. शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
4.	श्री शुभाशीष पण्डा, उप-निदेशक(प्रशासन)	सदस्य
5.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार	सदस्य
6.	श्री धीरेन्द्र वर्मा, उप-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
7.	आचार्य एवं प्रमुख, डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ. के प्रतिनिधि: डॉ. अब्दुल, सहायक आचार्य	सदस्य
8.	आचार्य एवं प्रमुख, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के प्रतिनिधि: श्रीमती रेणु भारद्वाज, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	सदस्य
9.	आचार्य एवं प्रमुख, ज.प्र.न.एपैक्स ट्रॉमा केन्द्र के प्रतिनिधि: श्री ई.वी.एस. चक्रवर्ती, प्रशासन अधिकारी	सदस्य
10.	डॉ. वी.के. बहल, आचार्य एवं प्रमुख, हृद्वक्ष विज्ञान केंद्र	सदस्य
11.	डॉ. कामेश्वर प्रसाद, आचार्य एवं प्रमुख, तंत्रिका विज्ञान केन्द्र	सदस्य
12.	डॉ. आर.के. चड्डा, आचार्य एवं प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद	सदस्य

13.	डॉ. यू. सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग	सदस्य
14.	डॉ. संजीव लालवानी, कुल सचिव (शैक्षिक)	सदस्य
15.	डॉ. संजय आर्य, मुख्य प्रशासन अधिकारी (कार्य.)	सदस्य
16.	वरिष्ठ भण्डार अधिकारी (नि.का.) के प्रतिनिधि: श्री रामपाल सिंह, कनिष्ठ भण्डार अधिकारी	सदस्य
17.	डॉ. प्रवीण वशिष्ठ, आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.रा.प्र.केन्द्र	सदस्य
18.	आचार्य एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र के प्रतिनिधि: श्री नरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	सदस्य
19.	श्री सतीश कुमार सिंह, प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, डॉ.बी.आर.ए.सं.रो.कैं.अ.	सदस्य
20.	श्री जी.आर.पिल्लई, प्रशासन अधिकारी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी, अस्पताल	सदस्य
21.	श्रीमती प्रीति आहलूवालिया, कल्याण अधिकारी, अ.भा.आ.सं.	सदस्य
22.	श्रीमती नीहारिका सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
23.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव
24.	श्री पल्लव चित्तेज, प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ, अ.भा.आ.सं.	विशेष आमंत्रित
25.	श्रीमती रेणु भारद्वाज, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र	विशेष आमंत्रित
26.	श्रीमती अनीता टेटे, प्रशासन अधिकारी, एस.सी./एस.टी. प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
27.	श्री ललित उरांव, प्रशासन अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
28.	लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट अनुभाग एवं ऑडिट अनुभाग के प्रतिनिधि: श्री सोहनवीर, सहायक (गैर सचिवीय)	विशेष आमंत्रित
29.	श्री पदम सिंह, लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग	विशेष आमंत्रित

30.	डॉ. एस. दत्ता गुप्ता, संकायाध्यक्ष (परीक्षा) परीक्षा अनुभाग	विशेष आमंत्रित
31.	श्री सुंदर लाल चमौली, प्रशासन अधिकारी समन्वय प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित

श्री सतीश प्रसाद, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर सुविधा, अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 संस्थान में हिंदी अधिकारी के पद पर पदोन्नति संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि पिछली अनेक बैठकों में यह निर्णय जा चुका है कि हिंदी अधिकारी के रिक्त पदों हेतु यथाशीघ्र डी.पी.सी. आयोजित की जाए ताकि संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती अनुभाग द्वारा जिस प्रकार अन्य पदों हेतु डी.पी.सी. की जा रही है उसी प्रकार हिंदी अधिकारी के रिक्त पदों हेतु भी यथाशीघ्र डी.पी.सी. करके इन पदों को भर लिया जाए ताकि संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अध्यक्ष महोदय ने इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - प्रशासन अधिकारी (भर्ती)

मद सं. 3 संस्थान में हिंदी अनुवादकों की स्थायी भर्ती करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान में 04 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक कॉन्ट्रेक्ट आधार पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पद पर कार्यरत थे जिनकी सेवाएं 04 नवम्बर, 2018 को समाप्त हो रही है। इन रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाना अति आवश्यक है ताकि सभी केंद्रों में हिंदी अनुवादकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती) द्वारा समिति को सूचित किया गया

कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि:

1. भर्ती अनुभाग द्वारा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों हेतु यथाशीघ्र विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए तथा यथाशीघ्र इन पदों को भर लिया जाए।
2. जब तक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों पर स्थायी भर्ती नहीं होती है तब तक नियमानुसार हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर अविलम्ब तैनाती सुनिश्चित की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - प्रशासन अधिकारी (भर्ती)/संकायाध्यक्ष (परीक्षा)

मद सं. 4 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्त्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार लगभग 58 प्रतिशत ही है।

समिति द्वारा जून, 2018 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 5 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित अवर श्रेणी लिपिकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि वर्तमान में संस्थान के 31 कर्मचारीगण एवं 05 आशुलिपिक हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा

फरवरी, 2019 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु संस्थान के कर्मचारियों के नामांकन किए जाने प्रस्तावित हैं।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार फरवरी, 2019 से प्रारम्भ होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 6 विकिरण निदान विज्ञान विभाग में एक्स-रे आदि के लिफाफे केवल अंग्रेजी में ही छपे <u>होने संबंधी।</u>

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान के विकिरण निदान विभाग में एक्स-रे आदि के लिए प्रयोग में लाये जा रहे लिफाफे आदि पर विभाग संबंधी सूचना केवल अंग्रेजी में ही छापी जा रही हैं जबकि नियमानुसार ऐसी सूचनाएं द्विभाषी में छापी जानी चाहिएं।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एक्स-रे आदि हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले सभी लिफाफे एवं अन्य सामग्री केवल द्विभाषी रूप में ही छपवाई जाएं। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - चिकित्सा अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, विकिरण निदान विभाग

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।